FORM III

फर्द अहकाम

(नियम – 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम नीमकाथाना (राज.)

राजेन्द्र सिंह बनाम भूमिधारी

2025 जीसीएमएस नं. 2025/736

किस्म मुकदमा दावा बाबत घोषणा दुरूस्ती रिकार्ड व स्थायी निषेधाज्ञा मु0नं0 244 सन 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08-07-2025	रिपोर्ट सरिश्ता होकर पत्रावली पेश हुई। वकील वादी श्री सत्यनारायण यादव उपस्थित। दावा दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादी की तलबी जरिये सम्मन की जाकर एवं तहसीलदार नीमकाथाना से तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाने हेतु तहरीर जारी होकर पत्रावली दिनांक 08/08/25 को पेश हो।	
	पत्रावली पेश हुई। वकुलाए उपस्थित। P.O साहब दीगर कार्य मे व्यस्थ है पत्रावली पुर्व आदेशानुसार दिनांक 01/9/25 को पेश हो।	
1/9/25	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ ने आज अदालती कार्य का बहिष्कार कर रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 23/9/25 को पेश हो।	
23/9/25	पत्रावली पेश हुई। वकुलाए उपस्थित। P.O साहब दीगर कार्य मे व्यस्थ है। पत्रावली पुर्व आदेशानुसार दिनांक 24/9/25 को पेश हो।	
24/9/25	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप0। प्रतिवादी तहसीलदार नीमकाथाना से पूर्व में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई जो अभिलेख पर ली जाती हैं। प्रकरण में बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने मुताबिक अनुतोष दावा डिक्री फरमाने का निवेदन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, संलग्न दस्तावेजात एवं तहसीलदार नीमकाथाना से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट का अवलोकन किया गया एवं वकील वादी की बहस पर सगौर मनन किया गया। चूंकि मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट राजस्व ग्राम बल्लभदासपुरा में वादी व अन्य की खातेदारी भूमि में सड़क हेतु अवाप्त शुदा भूमि की राजस्व नक्शे में तरमीम में मौका स्थिति अनुसार भिन्नता पायी गयी हैं एवं पटवारी रिपोर्ट में दर्ज मौका स्थिति अनुसार सड़क की तरमीम शुद्ध किया जाना उचित बताया हैं। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाने पर न्यायहित में स्वीकार किया जाकर प्रकरण में घोषणा इस आशय की जारी की जाती हैं कि :–	

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.10.28 12:34:19 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

तहसीलदार नीमकाथाना तन ग्राम बल्लभदासपुरा पटवार हल्का गांवड़ी तहसील नीमकाथाना जिला सीकर अवस्थित ख. नं. 828 ता 831, 868, 869, 734, 847/2, 823/2, 823/3, 824/2, 834/2, 834/3, 846, 848, 849/2, 850, 851, 853, 808/1, 808/3, 854 ता 856, 860, 861 में वादी व अन्य की खातेदारी भूमि में सड़क हेतु अवाप्तशुदा भूमि की राजस्व नक्शे में तरमीम में मौका स्थिति अनुसार भिन्नता पायी जाने पर मुताबिक तहसीलदार नीमकाथाना रिपोर्ट मौका स्थिति अनुसार सड़क की तरमीम दुरूस्त की जाने की घोषणा की जाती हैं। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो तथा तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
नीमकाथाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.10.28 12:34:19 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी** मुकाम **नीमकाथाना (सीकर)**
बइजलास **राजवीर सिंह यादव R.A.S.**

1. राजेन्द्र सिंह पुत्र रामचन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी बल्लभदासपुरा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज.।

–वादी

बनाम

1. भूमिधारी जरिये तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर राज.।

–प्रतिवादी

दावा बाबत घोषणा

मुकदमा नं. 48 सन् 2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू **राजवीर सिंह यादव आर.ए.एस** व हाजिरी **श्री सत्यनारायण यादव एडवोकेट** मिनजानिब मुद्दई रूबरू .... मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि **तहसीलदार नीमकाथाना तन ग्राम बल्लभदासपुरा पटवार हल्का गांवड़ी तहसील नीमकाथाना जिला सीकर अवस्थित ख.नं. 828 ता 831, 868, 869, 734, 847/2, 823/2, 823/3, 824/2, 834/2, 834/3, 846, 848, 849/2, 850, 851, 853, 808/1, 808/3, 854 ता 856, 860, 861 में वादी व अन्य की खातेदारी भूमि में सड़क हेतु अवाप्तशुदा भूमि की राजस्व नक्शे में तरमीम में मौका स्थिति अनुसार भिन्नता पायी जाने पर मुताबिक तहसीलदार नीमकाथाना रिपोर्ट मौका स्थिति अनुसार सड़क की तरमीम दुरूस्त की जाने की घोषणा की जाती हैं। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो।**

.निज.....................मुबलिग...बाबत...खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह.........फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....का अदा करें। बसव्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज **तारीख 24 माह 09 सन् 2025** को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत............
ओहदा.............

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (राज.)

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर वाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान			स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प अर्जी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान		

खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.10.28 12:34:19 IST
Reason: SelfAttested